राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(81)एमई / ग्रुप–1 / 2014 जयपुर, दिनांक 11 AUG 2014

परिपत्र

यह ध्यान में आया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में राजस्थान लोक सेवा आयोग से नवचयनित सहायक आचार्य के पदों पर चिकित्सक शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान करते समय कई चिकित्सक शिक्षक डी.एम. / एम.सी.एच. कोर्स में अध्ययनरत रहने के कारण नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं कर पाते है तथा कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि दी जाने की मांग की जाती है।

राज्य के आमजन को उचित एवं विशेषज्ञ सेवाऐं प्रदान किये जाने के लिए विभाग को विशेषज्ञ चिकित्सक शिक्षकों की कमी एवं अनुपलब्धता होने के कारण यह आवश्यकता प्रतीत होती है कि नवनियुक्ति पर चिकित्सक शिक्षक जो डी.एम. / एम.सी.एच. कोर्स में अध्ययनरत है, उनको राज्य सेवा में नवनियुक्ति पर राज्य के संबंधित मेडिकल कॉलेज जहां वह अध्ययन कर रहा है, में पदस्थापन किया जावे ताकि विभाग को विशेषज्ञ चिकित्सक शिक्षकों की सेवाऐं उपलब्ध हो सके। अतः इस संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था की जाती हैः–

1. नवचयनित चिकित्सक शिक्षक जो डी.एम. / एम.सी.एच. कोर्स में अध्ययनरत है, उन्हें नवनियुक्ति पर अध्ययनरत संबंधित मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित किया जावेगा।
2. अध्ययन के दौरान चिकित्सक शिक्षक को स्टाईपेण्ड के स्थान पर नियमानुसार देय वेतन का भुगतान किया जावेगा।
3. डी.एम. / एम.सी.एच. कोर्स (स्पेशिलाइजेशन) पूर्ण करने के पश्चात चिकित्सक शिक्षक का अन्यत्र मेडिकल कॉलेज में स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(धन्नालाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय, चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर / जोधपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव